फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्र लगाकर चयन कराने की साजिश रचने वाला गिरफ्तार

राजस्थान में सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़े के बड़े खेल का खुलासा किया एस.ओ.जी. ने

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़े के बड़े खेल का खुलासा करते हुए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल-1) भर्ती-2022 में फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्र लगाकर चयन कराने की साजिश रचने वाले आरोपित भभूता राम विश्नोई को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपित पर पीटीआई भर्ती परीक्षा-2022 में अपने भाई की जगह डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाने का भी आरोप है। फिलहाल एसओजी की टीम आरोपित से पूछताछ करने में जुटी है।

एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 में खेल कोटे के तहत चयन के लिए 38 अभ्यर्थियों ने नेशनल लेवल ताइक्वांडो प्रतियोगिता के फर्जी प्रमाण पत्र पेश किए थे। जांच में सामने आया कि इन

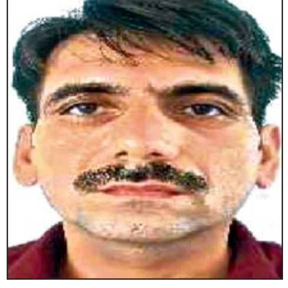

प्रमाण पत्रों को असली साबित करने के लिए 'ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, धनबाद, झारखंड' के नाम से मिलती-जुलती फर्जी ईमेल आईडी बनाकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को कूटरचित सत्यापन रिपोर्ट भेजी गई थी। इस मामले में एसओजी थाना में धोखाधड़ी, कूटरचना और आईटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपित भभूताराम उर्फ रणजीत विश्नोई निवासी लछिए का तला बाड़मेर ने दलाल सतीश डुल

■ **आरोपी भभूताराम विश्नोई पर पीटीआई भर्ती परीक्षा-2022 में अपने भाई की जगह डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाने का भी आरोप है**

के माध्यम से करीब एक लाख रुपए में फर्जी ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र का सौदा तय किया था। आरोपित ने करीब तीन वर्ष पहले 15 हजार रुपए नकद देकर प्रमाण पत्र हासिल किया और चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी पाने का प्रयास किया।

एसओजी के अनुसार आरोपित पहले से ही एक अन्य मामले में जयपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद था। उस पर पीटीआई भर्ती परीक्षा-2022 में अपने छोटे भाई मुकेश कुमार की जगह डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाने का भी आरोप है। जांच में सामने आया कि शिक्षा विभाग के यूडीसी जगदीश सारण के माध्यम से आरोपित ने पवन कुमार नामक युवक को मोटी रकम देकर भाई की जगह परीक्षा में बैठाया था। इस संबंध में अलग से मामला दर्ज है।

एसओजी ने आरोपित को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। एसओजी अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े दलालों, फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने वालों और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि मामले में अब तक 38 नामजद अभ्यर्थियों में से 21 अभ्यर्थियों सहित फर्जी ईमेल आईडी तैयार करने वाले आरोपित बिमलेन्दु कुमार झा, दलाल कमल सिंह तथा फर्जी खेल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने वाले अन्य आरोपितों समेत कुल 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष आरोपितों और दलालों की तलाश जारी है।

40 हजार की रिश्वत लेते प्लेसमेंट एजेंसी का कर्मचारी गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर मुख्यालय टीम ने कार्रवाई करते हुए एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक महिला से उसका अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने और पीएफ व यूएएन नंबर रजिस्टर्ड करने के नाम पर भारी-भरकम घूस मांगी थी। एसीबी की टीम ने आरोपी के चार मंजिला मकान पर दबिश देकर उसे रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी के अनुसार आरोपी अनिल डायनेमिक मैनपावर सिक्योरिटी सर्विसेज नाम की प्लेसमेंट एजेंसी दुर्गापुरा में कार्यरत है। पीड़ित महिला को अपने पीएफ से जुडे मामले और अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। आरोप है कि अनिल इसके एवज में महिला से लगातार रिश्वत की डिमांड कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। परेशान होकर पीड़िता ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज कराई। महिला की शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने बेहद गोपनीय तरीके से शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि सही पाई गई। जिसके बाद आरोपी अनिल को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। आरोपी अनिल ने पीड़िता को रिश्वत की रकम लेकर अपने घर पर बुलाया था। जहां एसीबी की टीम ने नजर बनाए रखी और जैसे ही आरोपी ने अपने चार मंजिला मकान के बेसमेंट में बने ऑफिस एरिया में पीड़िता से चालीस हजार रुपए की नगद राशि ली, वैसे ही टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी से रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई है। एसीबी के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर मुख्यालय लाया गया है।

मुख्यमंत्री ने नींदड में ईको ट्रेल का किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को नींदड वन क्षेत्र में वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के तहत एनिकट पर श्रमदान किया।

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को नींदड वन क्षेत्र में नींदड़-बैनाड़ बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट ईको ट्रेल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के तहत एनिकट पर श्रमदान कर आमजन से जल संरचनाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में सहभागिता निभाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नींदड वन अत्यंत सुंदर और संभावनाओं से परिपूर्ण क्षेत्र है। राज्य सरकार इसे सघन पौधारोपण के माध्यम से विकसित करेगी, ताकि यहां प्रकृति पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके।

उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के अंतर्गत हमारा प्रयास है कि ऐसे कई स्थानों पर एनिकट एवं जल संचय संरचनाओं का निर्माण कर वर्षा जल को एकत्रित किया जा सके। इसी तरह प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरणा लेकर इस वर्ष भी हमारी सरकार ने 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हरियालो राजस्थान और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रदेश में जनभागीदारी आधारित पर्यावरण एवं जल संरक्षण को नई दिशा प्रदान करेंगे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नींदड वन में आमजन के लिए ट्रैक निर्माण सहित अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रकृति पूजा की सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हुए विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पीपल पूजन किया। साथ ही, उन्होंने शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं सुख-समृद्धि के लिए कामना की।

उन्होंने पक्षियों के लिए परिंडे बांधे तथा महिलाओं को तुलसी के पौधे वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सफेद चंदन का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

विनिश्चय सागर महाराज ने किया केशलोच

जयपुर। दिगंबर जैन धर्मशाला सामली में विराजमान वाक्ककेसरी संत आचार्य विनिश्चय सागर जी महा मुनिराज ने शुक्रवार को कर्मों की निर्जरा के लिए अपना स्वयं केशलोच किया।

एल.आई.सी. ने लॉन्च किए दो नए प्लान

जयपुर (कासं)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक आर. दुरैस्वामि ने दो नए प्लान ''नई जीवन साथी एकल प्रीमियम और सीमित प्रीमियम'' (प्लान नंबर 888 व 889) को लॉंच किया है।

उन्होंने बताया कि यह दोनों संयुक्त जीवन प्लान है, जिनमें विवाहित व्यक्ति और उसके जीवनसाथी को एक ही पॉलिसी में बीमा सुरक्षा मिलती है। इन प्लान में न्यूनतम मूल बीमित राशि 3 लाख रुपए है, जबकि अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है।

हालांकि बीमा प्लान लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ग्राहक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके वैकल्पिक राइडरों का

चयन कर सकेगा। उन्होंने बताया कि एकल प्रीमियम प्लान में ग्राहकों को एकबारगी ही भुगतान करना होता है। जबकि सीमित प्रीमियम प्लान में पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई 10, 15, 20 अथवा 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रीमियम भुगतान 5, 10 और 15 वर्ष के लिए चुना जा सकता है। ग्राहकों को हर साल 7 प्रतिशत की दर से गारंटीड एडिशन्स का लाभ दिया जाएगा।

जयपुर सहित 8 शहरों में बारिश, ओले भी गिरे

जयपुर । पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को जयपुर सहित करीब 8 शहरों में बारिश हुई। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे।

आंधी-बारिश से शहरों के पारे में 11 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिली। करीब 45.6 डिग्री के साथ जैसलमेर और 33 डिग्री के साथ बीकानेर की रात सबसे गर्म रही। जयपुर में भी शुक्रवार को दोपहर बाद मौसम बदला और काले घने बादल छाने के साथ आंधी के साथ बारिश हुई। देर शाम अचानक मौसम बदला और बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे जयपुर के पारे में 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। आमजन को तेज गर्मी से राहत मिली। इससे पहले शुक्रवार को दिनभर शहर के आसमान में बादलों की आवाजाही रही, लोग तेज धूप और लू के थपेड़ों से बेहाल रहे। बारिश ने नौतपा की गर्मी से हल्की राहत दी।

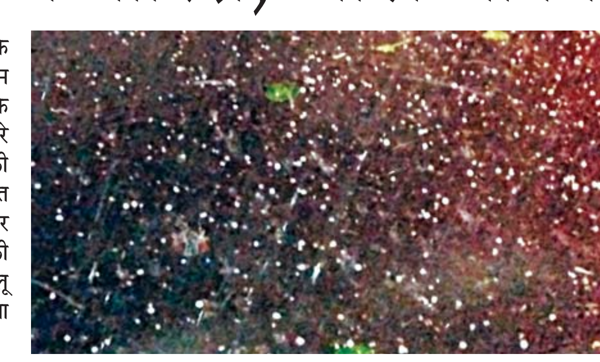

मां का देह शोषण और नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने वाले को उम्रकैद

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने मां का चार साल तक देह शोषण और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड करने वाले अभियुक्त शक्ति सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने 35 साल के इस अभियुक्त पर 2.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि अभियुक्त को पीडिता के पति ने अपने ऑफिस में कर्मचारी और चालक के पद पर रखा था। साल 2016 में पीडिता का घर में अकेले रहने के दौरान बेहोश होने का फायदा उठाकर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद वह इन्हें सार्वजनिक करने के नाम पर आए दिन उसके साथ संबंध बनाने लगा। इस दौरान अभियुक्त ने उसके लाखों रुपए की वसूली भी की। वहीं उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी छेडछाड की। घटना को लेकर पीडिता की ओर से 19 अक्टूबर, 2020 को मुरलीपुरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत मे आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अपने आरोप दोहराए।

वहीं अभियुक्त पक्ष की ओर से कुछ फोटोग्राफ पेश कर कहा गया कि पीडित विवाहिता उसके साथ प्रेम करती थी और दोनों के बीच आपसी सहमति से ही संबंध बनाए जाते थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मोहिनी देवी पत्नी श्री पूरण मल निवासी- 27 A, श्री नाथ कॉलोनी, एयरपोर्ट के पास, सांगानेर, जयपुर (राजस्थान) अपने पुत्र गोविंद और पुत्रवधू तपस्या धानका को मेरे साथ गलत व्यवहार करने, मेरा कहा अनसुना करने, और प्रताड़ित करने के कारण मैं उनसे संबंध विच्छेद करती हूं। और अपनी सभी चल व अचल संपत्ति से बेदखल करती हूं। भविष्य में अपने किसी भी कृत्य में ये दोनों स्वयं जिम्मेदार होगे। **मोहिनी देवी पत्नी श्री पूरण मल**

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर नगर जोन) नगर निगम जयपुर (अम्बाबाड़ी सर्किल, अम्बाबाड़ी, जयपुर)

क्रमांकः- एफ-55 (।वि.जोन/ज.न.नि./2026/342 दिनांकः- 28.05.2026

सार्वजनिक सूचना भूखंड सं. 20, शिवपुरी, झोटवाड़ा, जयपुर का (श्री छत्रपति शिवाजी गृह.नि.स.स) द्वारा श्रीमती रतन देवी पत्नी श्री जुगल किशोर के पक्ष में दिनांक 26.01.2002 को क्षेत्रफल 227.95 वर्गगज भूमि का आवंटन पत्र जारी किया गया था। प्रकरण में मूल आवंटी की मृत्यु उपरान्त शेष वरिसानो बीना देवी (पुत्री) द्वारा जरिये रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 07.05.2026 के द्वारा भूखंड श्री राजकुमार, श्री प्रीतम कुमार वर्मा, श्री महेश वर्मा एवं श्री जितेन्द्र वर्मा के पक्ष में कर दिया। आवेदकगण श्री राजकुमार, श्री प्रीतम कुमार वर्मा, श्री महेश वर्मा एवं श्री जितेन्द्र वर्मा द्वारा भूखंड सं. 20, शिवपुरी, (श्री छत्रपति शिवाजी गृह.नि.स.स) झोटवाड़ा, जयपुर क्षेत्रफल 227.95 वर्गगज का नाम हस्तांतरण अपने पक्ष में जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तांतरण की कार्यवाही संपादित कर ली जावेगी। उपायुक्त विद्याधर नगर जोन, नगर निगम जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

आवश्यक सूचना

आवास संख्या 4/17, एन.ई.बी.82 योजना अलवर जो कि मूलतः श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री मंगल राम जैन को आवंटन पत्रांक 3914 दिनांक 02.02.1991 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा आवास का अदेय प्रमाणपत्र क्रमांक 2950 दिनांक 19.09.1991 को श्री राकेश कुमार जैन के पक्ष में जारी कर दिया गया था। श्री राकेश कुमार जैन द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 09.03.1995 को उपपंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री राकेश कुमार जैन की मृत्यु दिनांक 20.10.2022 को हो जाने के उपरांत उनकी उत्तराधिकारिणी पत्नि श्रीमती प्रफुल्ल कुमारी गुप्ता द्वारा मण्डल नियमानुसार प्रस्तुत क्षतिपूर्ति बंधक शपथ पत्र, घोषणा शपथपत्र एवं अन्य आवश्यक शपथपत्रों व प्रपत्रों के आधार पर उक्त आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण किये जाने हेतु शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आग्रह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 4/17, एन.ई.बी.82 योजना अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती प्रफुल्ल कुमारी गुप्ता पत्नि स्व. श्री राकेश कुमार जैन के पक्ष में आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

NAME CHANGE

मैं तीजन देवी (Teejan Devi) पत्नी स्व. श्री रामेश्वर निवासी भाम्भोरिया की ढाणी, बड़ के बालाजी, जयपुर, राजस्थान 302026 मैंने अपना नाम तीजा देवी से बदलकर तीजन देवी (Teejan Devi) रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

मैंने मेरा नाम कविता से बदलकर मेरे समस्त डॉक्यूमेंट के अनुसार मेरा नाम कविता चौधरी 234 ऑफिसर्स कैंपस विस्तार, सिरसी रोड, खातीपुरा, जयपुर कर लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

मैं रमा सिंह राठौड़ पत्नी राजेंद्र सिंह नरूका (पुत्री हुकम सिंह) ने अपना नाम रमा सिंह से बदलकर रमा सिंह राठौड़ रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पता A-45, कीर्ति नगर, टोंक रोड, जयपुर।

मैं लवीना झुरानी पत्नी श्री नितेश झुरानी निवासी 7-झ-15, जवाहर नगर, जयपुर। मैंने अपना नाम लोंगवानी लवीना राम (LONGWANI LAVEENA RAM) से बदलकर लवीना झुरानी (LAVEENA JHURANI) रख लिया है। भविष्य में मुझे लवीना झुरानी (LAVEENA JHURANI) के नाम से जाना जाये।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

आवश्यक सूचना

मूलतः आवास संख्या 8/151, एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर जो कि श्री नृपेन शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा को आवंटन पत्रांक 3038 दिनांक 10.01.2011 के द्वारा आवंटित किया गया था। आवास का अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 475 दिनांक 30.04.2012 को श्री नृपन शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा के नाम जारी कर दिया गया। श्री नृपेन शर्मा द्वारा उक्त आवास के लिये जये पंजीकृत मुख्तारनामा दिनांक 28.04.2011 को श्रीमती शशी बत्रा पत्नी श्री राकेश बत्रा को अपना मुख्तयारआम नियुक्त किया गया। श्रीमती शशी बत्रा द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 15.05.2012 को उप पंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्रीमती शशी बत्रा बहैसियत मुख्तयारआम आवास का बेचान जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 16.05.2012 को श्री करूण नरूला पुत्र स्व. श्री कंवलनयन नरूला को कर दिया गया। श्री करुण नरूला द्वारा आवास का बेचान जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 23.01.2025 को श्रीमती कैलाश देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश को कर दिया गया। श्रीमती कैलाश देवी द्वारा उक्त आवास के नियमानुसार लीज हस्तांतरण किये जाने हेतु दस्तावेज एवं शुल्क जमा करा कर आवेदन किया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आग्रह किया जाता है कि 8/151, एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई अन्य किसी विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती कैलाश देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश के पक्ष में आवास के लीज हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

आवश्यक सूचना

श्री मंगल राम जैन को आवंटन पत्रांक 3914 दिनांक 02.02.1991 के द्वारा आवंटित किया गया था। आवास संख्या 4/17, एन.ई.बी.82 योजना अलवर जो कि मूलतः श्री राकेश कुमार जैन पुत्र मण्डल द्वारा आवास का अदेय प्रमाणपत्र क्रमांक 2950 दिनांक 19.09.1991 को श्री राकेश कुमार जैन के पक्ष में जारी कर दिया गया था। श्री राकेश कुमार जैन द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 09.03.1995 को उपपंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री राकेश कुमार जैन की मृत्यु दिनांक 20.10.2022 को हो जाने के उपरांत उनकी उत्तराधिकारिणी पत्नि श्रीमती प्रफुल्ल कुमारी गुप्ता द्वारा मण्डल नियमानुसार प्रस्तुत क्षतिपूर्ति बंधक शपथ पत्र, घोषणा शपथपत्र एवं अन्य आवश्यक शपथपत्रों व प्रपत्रों के आधार पर उक्त आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण किये जाने हेतु शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आग्रह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 4/17, एन.ई.बी.82 योजना अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती प्रफुल्ल कुमारी गुप्ता पत्नि स्व. श्री राकेश कुमार जैन के पक्ष में आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

प्रपत्र-7

(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 639/2026

चूंकि श्री चार्ल्स एलेक्स लुईस पुत्र श्री लुईस एंथोनी लुईस निवासी प्लाट नम्बर 863, शांति नगर, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के सामने, दुर्गापुरा, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास Humanity on Priority कार्यालय का पता प्लाट नम्बर 863, शांति नगर, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के सामने, दुर्गापुरा, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित् मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 27/5/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 31/07/26.

(मोहर अदालत) **सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**

संख्यांक 2

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 नियम 1 और 5)

नाम न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, क्रम -3, स्थान जयपुर महानगर प्रथम

श्रीमती बीरिन्द्र छिब्बर विरूद्ध श्रीमती परविन्दर कौर कपूर व अन्य

वाद बाबत् घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद संख्या 56 सन 2025

नाम श्रीमती गीना कौर पुत्री स्व. श्री गुरुदर्शन पाल सिंह कपूर पत्नी श्री गगनदीप सिहं जाति.......... स्थान **बी-81, रमन मार्ग, तिलक नगर, जयपुर 302004**

वादिया ने आपके विरूद्ध घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 02 माह 07 सन् 2026 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज दिनांक 22/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर किया गया।

वरिष्ठ रीडर

(मोहर अदालत) **अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम - 3 जयपुर महानगर-प्रथम**

संख्यांक 2

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 नियम 1 और 5)

नाम न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य स्थान न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला जयपुर

शारदा देवी विरुद्ध अनिल बैरवा

बाद बाबत दिवानी कार्यवाही

वाद सं. 08 सन् 2026 NCV. No 8/2026

नाम रामदेव पुत्र भोरिया रेगर जाति रेगर स्थान सेक्टर-3, स्टेशन रोड, खातीपुरा, जापपुर जिला जपपुर (राज.)

ने आपके विरुद्ध दावे के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 14/07/2026 को दिन में 10:30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वादकी सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज दिनांक 25/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर किया गया।

रीडर

(मोहर अदालत) **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर जिला जयपुर**

KOTA BUS SERVICES LIMITED

Nagar Nigam, New Administrative Building Rajeev Gandhi Bhawan, Dushera Maidan, Kishor Pura, KOTA, E-mail: kbslcitybus@gmail.com

Ref. No. :- KBSL/NNK/2025-26/1384-1402 Date:- 25/05/2026

निविदा शुद्धिपत्र

के.बी.एस.एल कोटा द्वारा मंत्रालयिक कार्मिक, गार्ड एवं परिचालको की आपूर्ती हेतु ई बोली सूचना सं. 01/2025-26 निविदा क्रमांक KBSL/NNK/2025-26/1315-1322 दिनांक 05.05.2026 को जारी की गई थी। जिसमें निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है-

उक्त निविदा में प्रकाशित निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 28.06.2026 को सांय 6.00 बजे के स्थान पर 01.06.2026 को सांय 6.00 बजे तक एवं तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 29.05.2026 को सांय 4.00 बजे के स्थान पर 02.06.2026 को सांय 4.00 बजे तक पढ़ा जावे।

राज.संवाद/सी/26/3739 **अधिशाषी अभियंता के.बी.एस.एल कोटा**